

भू राजस्व प्रशासन

भू राजस्व सुधार के उद्देश्य

- उत्पादन वृद्धि
- राजकीय आय में वृद्धि
- राजस्व प्रशासन के लिये आधुनिकीकरण

→ शेरशाह ने आसमद खान नामक आधिकारी को राजस्व प्रशासन के लिये आधिकृत किया। आसमद खान ने हिन्दू ब्राह्मणों की सहायता से भूमि की माप करायी और कृषि भूमि का एक पराबेज तैयार किया।

→ शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जल्दी पद्धति कहलाती थी। जल्दी पद्धति को दोहराव पद्धति भी कहते हैं क्योंकि दोहराव को ही इस पुष्कली का अर्थ माना जाता है।

→ भूमि माप में शेरशाह ने माप की इकाई के रूप में गज या सिक-ही का प्रयोग किया जो 32 अंगुल या $3/4$ मीटर होता था। माप की इकाई के लिए शेरशाह ने जरीब का प्रयोग किया। यह एक लंबे या रस्सी का बना होता था। माप की सबसे छोटी इकाई बीघा था सबसे बड़ी परगना को माना गया।

→ शेरशाह की भू राजस्व पट्टे 2 घटवाड़ी पट्टे के नाम से प्रचलित थी जिसे अनिगत किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किये। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जात और कबूलियत लिखवाई जाती थी। पट्टे में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था तथा कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि सम्बन्धित किसान को कितना राजस्व प्रदान करना है। भू राजस्व आँकलकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश था कि वे नियमों का पालन करें

→ शेरशाह ने जमीन को तीन भागों में विभाजित किया था उन्तम, मध्यम और निम्न

शेरशाह के समय भू राजस्व की रीति का भी इस विषय में विवाद है। जामुनादेव एवं कुँरीजी का माना है कि कुल उत्पादन का $\frac{1}{4}$ थी और वे उच्च संभवतः शेरशाह के उस फरमान को आधार बनाते हैं जो उसने मुल्तान के गफिनर देवत खाँ को दिया था। किन्तु मोरलेण्ड ऐसा नहीं मानते, उनका मानना था कि यह कुल उपज का $\frac{1}{3}$ होती थी। परमात्माशरण भी यही मानते हैं निष्कर्षतः शेरशाह के समय भू राजस्व की दर

$\frac{1}{3}$ थी। भू राजस्व नाद या अनाज दोनों में से किसी एक के रूप में विकल्प

→ शेरशाह की सफलता इस बात में है कि उसने
अनाजों की दर तालिका तैयार करायी, जिसे रय
के नाम से जाना जाता है। दर विवरण के लिये
आम पास के लोगों के मूल्य को आधार बनाया
जाता था। किसानों को यह विफल दिया गया था

~~किसानों~~

कि वे अनाज या नकद में भू राजस्व उठा
कर सकते हैं।

→ भू राजस्व के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार
के कर भी लिये जाते थे। भूमि माप के
आधिकार एवं राजस्व वसूल करने वाले
अधिकारी को वेतन देने के लिये जरीबाना
और मुहसिलाना नामक कर लगाया जाता था।
जरीबाना उत्पादन का २.५ प्रतिशत जबकि
मुहसिलाना उत्पादन का ५ प्रतिशत होता था।

→ इसके अतिरिक्त ~~अनाज~~ ~~अनाज~~ ~~अनाज~~
~~का~~ अनाज से मिलने के लिये २.५ सेर
प्रति मन अनाज राजकीय गोदाम में सुरक्षित
रखा जाता था। इसकी सूचना हमें हमन
खाँ से प्राप्त होती है।